

प्रशासनिक आदेश संख्या:- 307/2020


दिनांक: 31/08/2020

अध्यक्ष, नोवल कोरोना वायरस बचाव एवं राहत समिति/ अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, सीतापुर द्वारा यह अवगत कराया गया कि- श्री मयंक प्रकाश, सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद, सीतापुर द्वारा प्रेषित पत्र द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि न्यायालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री नवरतन सिंह, अनिल गौड़ एवं रवेन्द्र सिंह कोविड-19, कोरोना पाजिटिव पाये गये हैं तथा यह भी अनुरोध किया गया है कि तहसील परिसर में स्थित वाह्य न्यायालय महमूदाबाद, रजिस्ट्री आफिस महमूदाबाद एवं मय तहसील परिसर साफ सुथरा तथा पूर्ण सेनेटाइजेशन कराने के उद्देश्य से कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार 48 घण्टे के लिये न्यायालय बन्द कराया जाये।

उक्त सूचना को दृष्टिगत रखते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 1117/ LXXXVII-CPC/eCourts/Allahabad: Dated 03 June 2020 के अनुपालन में वाह्य न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद, सीतापुर के परिसर को साफ सफाई एवं पूर्ण सेनेटाइजेशन कराने हेतु वाह्य न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद, सीतापुर को दिनांक- 01.09.2020 व 02.09.2020 (48 घण्टे) तक के लिये बन्द किया जाता है एवं सेनेटाइजेशन के पश्चात न्यायालय दिनांक- 03.09.2020 को पूर्ववत् खुलेगा।


माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या- 1117/LXXXVII-CPC/eCourts/Allahabad: Dated 03 June 2020 में वर्णित निर्देशों के अनुपालन में उपजिलाधिकारी, महमूदाबाद, सीतापुर को निर्देशित किया जाता है दिनांक- 01.09.2020 व 02.09.2020 को न्यायालय परिसर सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद, सीतापुर का सम्पूर्ण रूप से सेनेटाइजेशन एवं साफ-सफाई करवाना सुनिश्चित करें।

सर्व सम्बन्धित सूचित हों।


(कुलदीप कुमार-II),
जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिला अधिकारी, सीतापुर।
2. पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
3. उपजिलाधिकारी, महमूदाबाद, सीतापुर।


(कुलदीप कुमार-II),
जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।